भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

PRADESH

FZ 884334

प्रबन्धक- अंजनी कुमार द्विवेदी द्वारा स्वर्णा जन सेवा
ट्रस्ट गोपीनाथपुर कदउआ, सुल्तानपुर

प्रारूप – अ

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ – पत्र का प्रारूप

हम [illegible] ....एवं [illegible] क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव [illegible] शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है –

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा [illegible] नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम ([illegible]) में गाटा संख्या [illegible] एवं [illegible] रकबा क्रमशः [illegible] एवं हेक्टेयर (कुल रकबा [illegible] हेक्टेयर) भूमि है

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या [illegible] एवं [illegible] रकबा क्रमशः [illegible] एवं [illegible] हेक्टेयर कुल रकबा [illegible] हेक्टेयर, पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक [illegible] द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण, अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया।

6. यह की, निरिक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद्/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / संबद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओ आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरिक्षण में मानकानुसार कोई कमी पायी जाती है तो परिषद् की निरक्षण एवं निरिक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

ह० सचिव

ह० अध्यक्ष